ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्रीमती शारदा देवी	01.04.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	01.04.2022 से 01.10.2022
2	श्री सुदेश कुमार	01.10.2022 से 31.12.2023
3	श्री चंद्र पॉल	01.01.2024 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सधोट के लेखाओं की अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	01.08
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	32.28
3	6(ख)	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाने बारे	0.06
4	8(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.34
5	09(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	07.00
6	09(ङ)	क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना	04.88
7	09(च)	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान नियमानुसार स्त्रौत पर जीएसटी टीडीएस की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करने बारे ।	0.06

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06-08-2024 से 16-08-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**09/22**	**03/23**
2023-24	**10/23**	**03/24**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-470 दिनांक 16.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत सधोट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत सधोट के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	3813278.37	869795	4683073.37	2855238.3	1827835.07
2023-24	1827835.07	602941	2430776.07	759717	1671059.07

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **1671059.07**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank Name	Account No.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2024
H.P State Co-operative bank, Sarkaghat	32310108806	Own source & other grants	1515678.07
H.P State Co-operative bank, Sarkaghat	32310119398	14^{TH} FC	47095.36
		Total	**1562773.43**

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्व: स्त्रोत व अनुदान :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**1671059.07**
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	1562773.43
अन्तर की राशि	**-108285.64**

(ii) 15 वां वित्त आयोग :- ग्राम पंचायत सधोट के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रोत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है:-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1436959.3	1194300	2631259.3	568152.1	2063107.2
2023-24	2063107.2	212981	2276088.2	719290.44	1556797.76

Bank Reconicilation as on 31 03-2024		
Balance as per cash book	1556797.76	

add:- interest of Rs 10630 taken in pass book as on 01.04.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 10287 taken in pass book as on 01.07.2022 but not taken in cash book,interst of Rs 10924 taken in pass book as on 02.03.2023 but not taken in cash book, but not taken in cash book,interest of Rs 13197 taken in pass book as on 01.01.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 13566 taken in pass book as on 01.04.2023 but not taken in cash book,interest of rs 15956 taken in pass book as on 01.07.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 15677 taken in pass book as on 01.10.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 15725 taken in pass book as on 01.01.2024 but not taken in cash book	105962	**1662759.76**
Balance as per Pass book A/c no. 50100358474219		**1662759.76**
Net Difference		**nill**

(iii) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	5013735.5	0	5013735.5	5013735.5	0
2023-24	0	7052960.18	0	7052960.18	7052960.18	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹1.08 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के

अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹108285.64** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चूका है अथवा नहीं।

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
15th FC	XVFC/2022-23/P/5 दिनांक 01.02.2023	C/O Tank at shiv mandir	18084.50
15TH FC	XVFC/2023-24/P/43-47 दिनांक 15.03.2024	c/o toilet community with washroom at panchayat ghar	249140
14th FC	FFC/2022-23/P/39 दिनांक 25.03.2023	Park equipments children park near panchayat ghar	198500

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-460 दिनांक-09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। अतः अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत सधोट के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये

थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹32.28 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत सधोट द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹32,27,856.83 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i),4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत सधोट द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

पंचायत की स्वः स्त्रौतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है । अतः दिनांक 01.04.22 से 31.03.24 तक वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी थी । सचिव ग्राम पंचायत सधोट को अंकेक्षण अधियाचना

संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-451 दिनाँक 07.08.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव जल्द ही किया जाएगा । अतः गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण करते हुए वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं.PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान ₹5600/- विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुए जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क**
1.	2022-23	3000
2.	2023-24	2600
	कुल जोड़	**5600**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना था परन्तु उक्त राशि को लेखा परीक्षा अवधि (03/2024) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बन्धित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-453 दिनांक 07.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूली गई राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि :-

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:-

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, तो उसके अभिलेख तैयार करेगा जोकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था। भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। जांच में आगे

यह पाया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, तो उसके अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता कि पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुकसान भी हो रहा है तथा न ही सम्बन्धित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच की जाती, जोकि नियमो के विरुद्ध था।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-455 दिनांक-08.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। जिसे अब हि० प्र० सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल लैपटाप ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लिकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जोकि गंभीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-454 दिनांक 08.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.34 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री रैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार

को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹33770 का अधिक भुगतान किया गया था । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः- डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-462 दिनांक 12.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.01 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत सधोट द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹403 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि (₹)
	सामान्य निधि						
1	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	533	FFC/2022-23/पी/07 दिनांक 24.05.22	जेसीबी कार्य	40250	1.00%	403
							403

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/ एस.ए.डी./2024-463 दिनांक- 12.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹07.00 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹700000 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय

दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गई सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	वाउचर संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	116/18.03.23	FFC/2022-23/P/40 दिनांक 31.03.2023	14TH FC	जाग ट्रेडिंग को.	सोलर लाइट	150000
2	5850/13.03.24	Nill	सामान्य निधि	वी.के एंटरप्राइजिज प्रिंटिंग प्रैस	स्टेस्नरी आइटम	2950
3	4925/28.10.23	Nill	सामान्य निधि	वी.के एंटरप्राइजिज प्रिंटिंग प्रैस	स्टेस्नरी आइटम	3630
4	128/15.10.23	Nill	सामान्य निधि	माइक्रोकॉम इन्फोटेक	कर्टेज	3920
5	104/22.03.23	FFC/2022-23/P/39 दिनांक 25.03.2023	14TH FC	ग्लोबल ट्रेडिंग को.	झूले व फिटनेस टूल	198500
6	111/18.03.2023	FFC/2022-23/P/42 दिनांक 25.03.2023	14TH FC	ग्लोबल ट्रेडिंग को.	प्लास्टिक डस्टबीन व पैड मशीन	341000
कुल						**700000**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-465 दिनांक 13.08.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा। उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वयन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	433	93	340	901	545	545	19327	03	97403	78076
2023-24	555	224	331	931	591	591	25441	19	107067	81626

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पूरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-469 दिनांक 14.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड

धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ग) वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹21.31 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹21.31 लाख कम व्यय करना |

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा । अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹48.26 लाख की जगह ₹26.95 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹21.31 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹72.39 लाख की जगह ₹93.7 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹21.31 लाख ज्यादा किया गया। जिसका विवरण निम्र प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2022-23	50.13	39.48	30.08	10.65	20.05
2023-24	70.52	54.22	42.31	16.3	28.21
कुल	**120.65**	**93.7**	**72.39**	**26.95**	**48.26**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/ एस.ए.डी./2024-468 दिनांक 14.08.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि

निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹21.31 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹21.31 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बन्धित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहत की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था।

अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-458 दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ङ) क्रय की गई सामग्री ₹04.88 लाख का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान जॉच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। **परिशिष्ट (घ) में संलग्न** सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था । वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-466 दिनांक 13.08.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि क्रय की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज भण्डार / स्टॉक रजिस्टर में करने के उपरान्त पुष्टि करवा ली जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(च) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान नियमानुसार स्त्रौत पर जीएसटी टीडीएस की कटौती न करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार संविदाकार व्यक्ति ,फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹ 250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 –अंतरराजीय आपूर्ति)की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है । सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ता global trading general & government suppliers near handeti sundernagar, distt mandi को कूड़ेदान(dustbin) की आपूर्ति के लिए ₹ 279692 की राशि का भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर ₹5592 की राशि की जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 के रूप में कटौती नहीं की गई थी । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	वाउचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	कार्य का नाम	शीर्ष	भुगतान राशि (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
1	global trading general & government suppliers near handeti sundernagar, distt mandi	FFC/2022-23/P/42 dated 31.03.2023	111/18.03.2023	plastic dustbin & pad incinarecter machine	dustbin alloted to each wards	14th FC	341000-61380(18% GST)=279620	2.00%	**5592**
							279620		**5592**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-467 दिनांक 14.08.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत सधोट के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जीएसटी टीडीएस के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर जीएसटी टीडीएस की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12

2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 05.X.24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

05 OCT 2024

कार्यालय प्रतिलिपि

५५८५-५५९१

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 155/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सधोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 05.X.24
सहायक निदेषक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

कार्यालय प्रतिलिपि

परिशिष्ठ -(क)

Financial position of own sources & grants in aid(including 14th fc) of Gram Panchyat sadhot					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	3813278.37	869795	4683073.37	2855238.3	1827835.07
2023-24	1827835.07	602941	2430776.07	759717	1671059.07

प्रधान ग्राम पंचायत सधोट
ग्रा०पं० धर्मपुर जिला मण्डी हि०प्र०

26

बैंक समाधान विवरणी :-			
स्व स्त्रोत व अनुदान :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		1671059.07
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		1562773.43
		अन्तर की राशि	-108285.64

प्रधान ग्राम पंचायत सघोट

26

Financial position of 15th fc of Gram Panchyat Sadhot					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1436959.3	1194300	2631259.3	568152.1	2063107.2
2023-24	2063107.2	212981	2276088.2	719290.44	1556797.76
Bank Reconicilation as on 31 03-2024					
Balance as per cash book					
add:- interest of Rs 10630 taken in pass book as on 01.04.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 10287 taken in pass book as on 01.07.2022 but not taken in cash book,interst of Rs 10924 taken in pass book as on 02.03.2023 but not taken in cash book, but not taken in cash book,interest of Rs 13197 taken in pass book as on 01.01.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 13566 taken in pass book as on 01.04.2023 but not taken in cash book,interest of rs 15956 taken in pass book as on 01.07.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 15677 taken in pass book as on 01.10.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 15725 taken in pass book as on 01.01.2024 but not taken in cash book		105962			1662759.76
Balance as per Pass book					1662759.76
Net Difference					nill

प्रश्न संख्या – 8 (क)
परिशिष्ठ – (ख)

Detail of Royality, G.P. Sadhot, Block Dharampur, Distt Mandi (H.P)

क्रम संख्या

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मिट्रीक टन)	रॉयल्टी (प्रति मिट्रीक टन)	राशि
	14वां वित्त आयोग								
1	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	FFC/2022-23/P/43 दिनांक 31.03.2022	रेत	14536	7.52	1.62	12.18	80	975
2	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	FFC/2022-23/P/43 दिनांक 31.03.2022	बजरी	24678	14.24	1.52	21.64	80	1732
3	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	FFC/2022-23/P/43 दिनांक 31.03.2022	पत्थर	30520	28.00	2.24	62.72	80	5018
	मनरेगा								
4	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	671/06.02.24	रेत	9665	5.00	1.62	8.10	80	648
5	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	670/06.2.24	रेत	9665	5.00	1.62	8.10	80	648
6	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	669/06.02.24	रेत	8665	5.00	1.62	8.10	80	648
7	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	669/06.02.24	बजरी	4832	2.50	1.52	3.80	80	304
8	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	681/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
9	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	681/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
10	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	687/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
11	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	687/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
12	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	685/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
13	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	685/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
14	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	677/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
15	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	677/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608

16	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	686/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
17	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	686/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
18	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	679/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
19	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	679/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
20	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	680/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
21	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	680/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
22	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	684/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
23	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	684/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
24	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	683/nill	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
25	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	683/nill	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
26	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	689/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
27	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	689/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
28	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	674/01.02.24	रेत	5517	2.40	1.62	3.89	80	311
29	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	674/01.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
30	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	672/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
31	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	672/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
32	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	673/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324

33	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	673/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
34	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	675/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
35	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	675/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
36	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	682/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
37	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	682/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
38	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	678/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
39	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	678/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
40	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	676/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
41	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	676/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
42	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	688/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
43	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	688/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
44	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	690/06.02.24	रेत	5747	2.50	1.62	4.05	80	324
45	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	690/06.02.24	बजरी	10995	5.00	1.52	7.60	80	608
46	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	660/06.02.24	रेत	15425	7.98	1.62	12.93	80	1034
47	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	660/06.02.24	बजरी	26237	15.14	1.52	23.01	80	1841
48	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	660/06.02.24	बोल्डर	15390	14.12	2.24	31.63	80	2530
49	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	668/06.02.24	रेत	3750	1.94	1.62	3.14	80	251

50	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	668/06.02.24	बजरी	6360	3.67	1.52	5.58	80	446
									33770

प्रधान ग्राम पंचायत सधोट वि०ख० धर्मपुर जिला मण्डी हि०प्र०

सचिव
ग्राम पंचायत सधोट
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला मण्डी हि०

पत्र संख्या - 3(E)

परिशिष्ट -(घ)

Detail of materials which not entered in stock register ⇒

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	शीर्ष	मद का नाम	मात्रा(cum)	भुगतान राशि
1	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	FFC/2022-23/P/43 दिनांक 31.03.2022	14वां वित्त आयोग	रेत	7.52	14536
2	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	FFC/2022-23/P/43 दिनांक 31.03.2022	14वां वित्त आयोग	बजरी	14.24	24678
3	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	FFC/2022-23/P/43 दिनांक 31.03.2022	14वां वित्त आयोग	पत्थर	28.00	30520
4	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	671/06.02.24	मनरेगा	रेत	5.00	9665
5	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	670/06.2.24	मनरेगा	रेत	5.00	9665
6	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	669/06.02.24	मनरेगा	रेत	5.00	8665
7	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	669/06.02.24	मनरेगा	बजरी	2.50	4832
8	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	681/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747

9	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	681/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
10	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	687/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
11	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	687/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
12	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	685/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
13	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	685/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
14	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	677/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
15	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	677/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
16	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	686/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
17	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	686/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995

18	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	679/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
19	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	679/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
20	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	680/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
21	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	680/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
22	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	684/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
23	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	684/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
24	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	683/nill	मनरेगा	रेत	2.50	5747
25	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	683/nill	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
26	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	689/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747

27	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	689/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
28	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	674/01.02.24	मनरेगा	रेत	2.40	5517
29	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	674/01.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
30	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	672/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
31	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	672/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
32	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	673/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
33	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	673/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
34	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	675/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
35	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	675/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995

36	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	682/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
37	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	682/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
38	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	678/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
39	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	678/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
40	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	676/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
41	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	676/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
42	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	688/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747
43	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	688/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
44	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	690/06.02.24	मनरेगा	रेत	2.50	5747

45	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	690/06.02.24	मनरेगा	बजरी	5.00	10995
46	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	660/06.02.24	मनरेगा	रेत	7.98	15425
47	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	660/06.02.24	मनरेगा	बजरी	15.14	26237
48	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	660/06.02.24	मनरेगा	बोल्डर	14.12	15390
49	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	668/06.02.24	मनरेगा	रेत	1.94	3750
50	राजेश ठाकुर सरकारी ठेकेदार गाँव रोसो डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी	668/06.02.24	मनरेगा	बजरी	3.67	6360
						487591

Checked